5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(72)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि 3360-PBR-16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

श्री लाखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 27.09.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27.9.16

08
27.9.16

श्रीमती मीरा बेबा महेश श्री भूपसिंह, किलेदार सिंह पुत्रगण श्री राधाकृष्ण सिंह, जाति– गुर्जर निवासी– ग्राम नौगांव तहसील व जिला– ग्वालियर

......आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

.........अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड के प्रकरण क्रमांक 02/2015–16/बी 121 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2015 से दुखित होकर प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3360–पीबीआर/16 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2016	आवेदिका की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील का प्रावधान है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	